

प्रारूप-9
नियम 8(2) देखिये

संख्या 01705/2020-2021

दिनांक 21/09/2020



सोसाइटी के नवीनीकरण का प्रमाण-पत्र
(अधिनियम संख्या 21, 1860 के अधीन)

नवीनीकरण संख्या:R/LUC/05724/2020-
2021

पत्रावली संख्या:I - 129110

दिनांक:2000-2001

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि डा0 राजेन्द्र प्रसाद एजुकेशनल सोसाइटी, एम0 एस0 101, सेक्टर-डी, अलीगंज, लखनऊ, लखनऊ, 226024 को दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र संख्या- 242 दिनांक-31/05/2000 को दिनांक-31/05/2020 से पांच वर्ष की अवधि के लिए नवीनीकृत किया गया है |

1100 रुपये की नवीनीकरण फ़ीस सम्यक् रूप से प्राप्त हो गयी है |



Digitally Signed By
(VINAY KUMAR SRIVASTAVA)
572E833120B2128D9DAA66F36AED95A3DF6233DE

Date: 21/09/2020 1:09:16 PM, Location: Lucknow.

जारी करने का दिनांक-21/09/2020

सोसाइटी के रजिस्ट्रार,
उत्तर प्रदेश ।

नवीकरण प्रमाण पत्र क्रमांक 003564

प्रारूप - 9

नियम 8 (2) देखिये

संख्या 5047

दिनांक 23.6.2015



सोसाइटी के नवीकरण का प्रमाण-पत्र
(अधिनियम संख्या 21, 1960 के अधीन)

नवीकरण संख्या 309

पत्रावली संख्या

1-129110

दिनांक

2000-2001

श्री राजेन्द्र प्रसाद

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि
एज्यूकेशनल सोसाइटी, एम० एस०-101, सेक्टर-डी, अलीगंज, लखनऊ।

242

31-05-2000

दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र दिनांक के दिनांक
31-05-2015

..... से पांच वर्ष की अवधि के लिए नवीकृत किया गया है ।

1100


.....रुपये की नवीकरण फीस सम्यक् रूप से प्राप्त हो गयी है ।

20-06-2015

जारी करने का दिनांक.....

सोसाइटी के रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश

संख्या ३५६ पत्रावली नं०-१ - १९९१/० दिनांक ३१/५/२००५



सोसाइटी-रजिस्ट्रीकरण
का
प्रमाण-पत्र

(अधिनियम संख्या 21,1860 के अधीन)

संख्या २४२ २००० १९९१/०

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि डॉ० राजेश प्रसाद
राजू ने राजल सोसाइटी, एम० ए० १०, सेक्टर-
डी, अरली गीज, लखनऊ

को आज उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के संबंध में यथासंशोधित सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम,
1860 ई० के अधीन सम्यक् रूप से रजिस्ट्रीकृत किया गया है। यह प्रमाण-पत्र 30-5-2005
तक विधिमान्य होगा।


आज दिनांक ३१-५-२००० उर्नास से को
में हस्ताक्षर से दिया गया।

Director
City Academies College

सोसाइटी के रजिस्ट्रार,
उत्तर प्रदेश।



वरुण जनरल स्टाम्प पोस्ट ऑफिस यजु-डुल साद
 रजुनेश्वर को सादर
 प्रिन्सिपल को फाइल नं० 1/29/10
 स्मृतिपत्र के साथ संलग्न है



सत्य प्रतिष्ठिति
 दिवस
 1910-11
 87067

स्मृति पत्र

1. संस्था का नाम : डा. राजेन्द्र प्रसाद एजुकेशनल सोसाइटी
2. संस्था का पता : एम.एस. 101, सेक्टर -डी, अलीगंज, लखनऊ।
3. संस्था का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण भारत वर्ष।
4. संस्था के उद्देश्य :

1. Mamta Srivastava

2. Vijay Kumar

3. M. N. Srivastava

4. Anshu Srivastava

5. शान्ती देवी

6. Himelata

7. Anupama Srivastava

8. B. N. Kumar

9. R. S. Mishra

1. बालक बालिकाओं के शैक्षिक विकास हेतु पूर्ण शिक्षा की व्यवस्था करना।
2. छात्र छात्राओं में अनुशासन, देशप्रेम, स्वावलम्बन तथा विश्व बन्धुत्व जैसे गुणों का समावेश करना जिससे छात्र आदर्श नागरिक बन सकें।
3. प्राइमरी स्तर से उच्च स्तर तक शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर संचालित करना तथा बालक बालिकाओं के पठन पाठन की समुचित व्यवस्था करना।
4. समय-समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, विचार गोष्ठी तथा सेमिनार का आयोजन करना।
5. ज्ञानवर्धन हितार्थ निःशुल्क पुस्तकालय, वाचनालय की व्यवस्था करना।
6. विज्ञान, कला, शिक्षण प्रशिक्षण, डान्स, ड्रामा, म्युजिक, साहित्य, इंग्लिश रिटिंग, कृषि, धागधानी, डेयरी फार्मिंग, कामर्स से सम्बन्धित शिक्षा बालक बालिकाओं को देना।
7. प्रोफेशनल कोर्स, मैकेनिकल एकाउन्ट्स, एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेन्ट, कम्प्यूटर साइन्स, सेकेंडरीयल ट्रेनिंग, एक्जिक्यूटिव ट्रेनिंग, वोकेशनल कोर्स, ~~एडमिनिस्ट्रेशन~~, डेकोरेशन एवं फैशन डिजाइनिंग, टेलरिंग, माडलिंग आदि का निःशुल्क प्रशिक्षण देकर बेरोजगार, निर्धन, विकलांग अनुज्जाति, जनजाति के लोगों को स्वावलम्बी बनाना।
8. पर्यावरण संरक्षण तथा वृक्षारोपण जैसे राष्ट्रिय कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार करना।
9. बालक बालिकाओं के शारीरिक एवं मानसिक विकास हेतु खेलकूद, क्रीडा, योगाश्वास एवं प्रतियोगितात्मक खेलों में शामिल कराना तथा मनोरंजन के साधनों को उपलब्ध कराना।
10. क्षेत्रीय विकास हेतु गलिन बस्तियों का सुधार, निःशुल्क शौचालय, एवं हैण्ड पम्प एवं नाली सुधार कार्यक्रमों को करना व जन हित में कार्य करना।
11. संस्था का उद्देश्य अलाभकारी होगा।

5- पुबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों के नाम, पते, पद तथा व्यवसाय जिनको संस्था के नियमानुसार कार्यभार सौंपा गया है: --

क्र०सं०नाम/पिता का नाम	पता	पद	व्यवसाय
1. श्रीमती ममता श्रीवास्तव पुत्रनी श्री विजय कुमार	एम०एस०-101, सेक्टर-डी अलीगंज, लखनऊ।	अध्यक्ष	गृहणी
2. श्री विजय कुमार पुत्र श्री एम०एम०श्रीवास्तव	उपाध्यक्ष	सर्विस
3. श्री एम०एम०श्रीवास्तव पुत्र स्व०श्री सी०एल०श्रीवास्तव	पुबन्धक	समाजसेवा
4. अंशु श्रीवास्तव पत्नी श्री मनोन्द श्रीवास्तव	2/639, विकासनगर, लखनऊ।	कोषाध्यक्ष	गृहणी
5. शान्ती देवी पत्नी श्री एम०एस०श्रीवास्तव	एम०एस०101, अली गंज, सेक्टर-डी, लखनऊ।	सदस्य	समाजसेवा
6. मनोन्द श्रीवास्तव पुत्र स्व०आर०पी०श्रीवास्तव	2/639, विकासनगर, लखनऊ।	सदस्य	सर्विस
7. श्री नृपेन्द्र श्रीवास्तव पुत्र श्री आर०पी०श्रीवास्तव	नरुडेडा रोड, आलमबाग, लखनऊ।	सदस्य	सर्विस
8. वी०एन०श्रीवास्तव पुत्र स्व०श्री वी०पी०श्रीवास्तव	नरुडेडारोड, आलमबाग, लखनऊ।	सदस्य	सर्विस
9. आर०एस०श्रीवास्तव पुत्र स्व०श्री वी०पी०श्रीवास्तव	रेजीजेन्सीघल कालोनी, यू०पी०एम्स तातकटोरा, लखनऊ।	सदस्य	..

6- हम निम्न हस्ताक्षरकर्तागण उपरोक्त स्मृति पत्र के अनुसार सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन 1860 के अन्तर्गत एक समिति के अन्तर्गत की जायेगी।

हस्ताक्षर: -1. Mamta Srivastava

2. V. S. K. K.

3. H. M. Srivastava

4. Anshu Srivastava

5. शान्ती देवी

6. Vinod

7. Nripendra Srivastava

8. B. N. Srivastava

9. R. S. Srivastava

15/05/5-2000

नि य भा व नी

1. संस्था का नाम : डा० राजेन्द्र प्रसाद एजुकेशनल सोसाइटी
2. संस्था का पता : एम०एल०-101, सेक्टर-डी, अलीगंज, लखनऊ।
3. संस्था का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण भारत वर्ष।
4. संस्था की सदस्यता तथा सदस्यों के वर्गः -

आजीवन सदस्यः -

जो व्यक्ति संस्था को निःस्वार्थभाव से एक बार में 5000/- रुपये नगद या उतने ही मूल्य की चल अचल सम्पत्ति प्रदान करता हो वह संस्था का आजीवन सदस्य होगा। जिसमें संस्था के प्रबन्धकों की अनुमति आवश्यक होगी।

सामान्य सदस्यः -

जो व्यक्ति संस्था के विकास हेतु 50/- रुपये वार्षिक चन्दा प्रदान करता हो वह संस्था का सामान्य सदस्य होगा।

5. सदस्यता की समाप्तिः -

1. मृत्यु हो जाने पर।
2. पागल या दिवालिया हो जाने पर।
3. लगातार 3 बैठकों में अनुपस्थित होने पर।
4. किसी नैतिक अपराध में न्यायालय द्वारा दंडित होने पर।
5. नियमित रूप से सदस्यता शुल्क न अदा करने पर।
6. संस्था के प्रति हानिकर कार्य करने पर।
7. अविश्वास प्रस्ताव या त्यागपत्र पारित होने पर।

6. संस्था के अंगः -

1. साधारण सभा
2. प्रबन्धकारिणी समिति

7. साधारण सभाः -

गठनः - संस्था के आजीवन तथा सामान्य सदस्यों को मिलाकर पृष्ठछय साधारण सभा का गठन होगा।

बैठकेंः - साधारण सभा की सामान्य बैठक साल में एक

बार तथा विशेष बैठक आवश्यकतानुसार कभी भी बुलाई जा सकती है।

1. Manu Srivastava

2. Nym Kumar

3. M. N. Shrivastava

रिक्त स्थानों की पूर्ति:-

प्रबन्धकारिणी समिति के अन्तर्गत यदि कोई स्थान रिक्त होता है तो उसकी पूर्ति साधारण सभा के 2/3 सदस्यों के बहुमत से इस कार्यकाल के लिए की जायेगी।

प्रबन्धकारिणी समिति के अधिकार एवं कर्तव्य:-

1. संस्था की उन्नति हेतु आवश्यक कार्य करना।
2. संस्था का वार्षिक बजट तथा वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना।
3. धान, अनुदान, वन्दा प्राप्त करना तथा संस्था के विकास में लगाना।
4. उद्देश्यों की पूर्ति हेतु राज्यसरकार, केन्द्रसरकार, समाज कल्याण विभाग, शिक्षाविभाग, तथा महिला कल्याण विभाग तथा अन्य विरतीय संस्थाओं द्वारा धन, अनुदान, वन्दा प्राप्त करना तथा संस्था के विकास में लगाना।

कार्यकाल:- प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा।

9 प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य:-

अध्यक्ष:-

1. समस्त बैठकों की अध्यक्षता करना।
2. बैठकों के लिए दिनांकों का अनुमोदन, परिवर्तन तथा बैठकों की स्थगित करना।
3. समान मत होने पर निर्णायक मत देना।
4. संस्था के विकास हेतु सभी कार्यों को करना।

उपाध्यक्ष:- अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उनके कार्यों को करना तथा संस्था के विकास में पूर्ण सहयोग करना।

प्रबन्धक:-

1. प्रबन्धकारिणी समिति के निर्णयों को कार्यान्वित करना।
2. पारित बजट के अन्तर्गत व्यय को स्वीकृति देना।
3. कर्मचारियों की नियुक्ति, पदोन्नति तथा निष्कासन करना।
4. समस्त बिल, बाऊचर, अण्डात्र, मांगपत्र, चैक आदि आवश्यक पत्रों में हस्ताक्षर करना।

1. Manta Srivastava

2. V. K. Kumar

3. M. M. Srivastava

5. संस्था की चल अचल सम्पत्ति की सुरक्षा तथा उस पर नियंत्रण रखना।
6. बैठकों की कार्यवाही पास करना व सुनाना।
7. संस्था द्वारा समस्त पत्र व्यवहार करना।
8. सदस्यता रजिस्टर में सदस्यों का नाम अंकित करना।
9. संस्था के मुख्यकार्यपालक के रूप में कार्य करना।
10. बैठकों की कार्यवाही लिखित रूप में देना।
11. संस्था के विकास हेतु पूर्ण सहयोग करना।

कोषाध्यक्ष:-

1. आय व्यय का लेखा जोखा रखना।
 2. दान, अनुदान, चन्दा प्राप्त करना तथा संस्था के विकास में लगाना।
 3. संस्था के विकास हेतु सतत प्रयत्नशील रहना।
10. संस्था के नियमों व विनियमों में संशोधन प्रक्रिया:-

साधारण सभा के 2/3 सदस्यों के बहुमत से संस्था के नियमों व विनियमों में संशोधन परिचर्चा व परिवर्तन करना।

11. संस्था का कोष:-

संस्था का कोष किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या पो0आ0 में संस्था के नाम से खोला जायेगा जो प्रबन्धक के हस्ताक्षर से धन निकाला जायेगा।

12. संस्था के आय व्यय का लेखा परीक्षण/आडिट:-

संस्था के आय व्यय का लेखा परीक्षण प्रतिवर्ष सुयोग्य आडिटर द्वारा कराया जायेगा।

13. संस्था के द्वारा अथवा उसके विरुद्ध अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व:-

संस्था के आय व्यय का लेखा परीक्षण प्रतिवर्ष सुयोग्य आडिटर द्वारा कराया जायेगा।

1. Mamta Srivastava
2. Viji Kumar
3. M. M. Shrivastava

14. संस्था के अभिलेख: -

1. कार्यवाही रजिस्टर
2. सदस्यता रजिस्टर
3. स्टॉक रजिस्टर
4. बैंकबुक, लेजर आदि।

15. संस्था का विघटन सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन 21 सन् 1860 की धारा 13 व 14 के अन्तर्गत की जायेगी।

:: सत्य प्रतिनिधि ::

दिनांक: 25-5-2020

हस्ताक्षर: -

1. Mantri Srivastava
2. Nya Kumar
3. M. N. Srivastava